तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/4556/2006/बून्दी सरकार बनाम छीतरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** **उपस्थित** श्री राजेन्द्रप्रसाद मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी प्रत्यर्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही **निर्णय** **दिनांक 31.01.2020** अपीलार्थी ने यह अपील धारा 23(2) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम् जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीलिंग, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-03-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी के पिता माधोसिंह के विरूद्ध पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही संस्थित की जाकर प्राधिकृत अधिकारी सहायक कलक्टर, बून्दी ने अपने निर्णय दिनांक 30-12-1971 से भूमिधारी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानते हुए सीलिंग कार्यवाही को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17-09-1982 को प्रकरण रिओपन कर जिला कलक्टर, बून्दी को निर्देशों के साथ भिजवाया। इसके उपरान्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 17-10-1995 से निर्णीत किया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी ने मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-04-2005 से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील/सीलिग/4556/2006/बून्दी
सरकार बनाम छीतरसिंह</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 29-03-2006 से भूमिधारी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानकर सीलिंग कार्यवाही ड्राप कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी।
योग्य उप राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी ग्राम बाजड में स्थित है तथा यह क्षेत्र राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार चम्ब्ल कमाण्ड क्षेत्र में घोषित है एवं भूमि की सिचाई नहर से होती है तथा विवादित आराजी प्रथम ग्रुप की होने के कारण प्रत्यर्थी के धारण कुल 40.3स्टैण्डर्ड भूमि होने से 10.3 स्टैण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण योग्य थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से सीलिंग कार्यवाही को ड्राप कर दिया, जो तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर भूमिधारी के खाते से 10.3स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किये जावे।
हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/4556/2006/बून्दी सरकार बनाम छीतरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भूमिधारी के धारण में 80बीघा 14बिस्वा भूमि होना तथा रिकार्ड में दर्ज किस्म के भूमिधारी के खाते दर्ज 80बीघा 14बिस्वा भूमि के 25.22स्टैण्डर्ड एकड कायम करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। योग्य उपराजकीय अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि विवादित आराजी ग्राम बाजड में स्थित है तथा यह क्षेत्र राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में घोषित है एवं भूमि की सिचाई नहर से होती है तथा विवादित आराजी प्रथम ग्रुप की होने के कारण प्रत्यर्थी के धारण कुल 40.3 स्टैण्डर्ड भूमि होने से 10.3 स्टैण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण योग्य थी। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में स्थित होने एवं भूमि की सिचाई नहर से होने के तथ्य पर किसी प्रकार की कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-03-2006 निरस्त किया जाता है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/4556/2006/बून्दी सरकार बनाम छीतरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीलिंग, बून्दी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजी की किस्म के आधार पर स्टेण्डर्ड एकड की गणना करते हुए पुनः उभयपक्ष को सुनकर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/4556/2006/बून्दी सरकार बनाम छीतरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए